न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 10/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		सालगराम पुत्र ओकाराम पीटल, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल सैन

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28/5/19

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/67 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/67 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी सालगराम के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी की किस्म परिवर्तन कर बट्टा नम्बर ख.न. 285/68 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.04.1975 एवं इसका पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.06.1989 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब मे उल्लेख किया एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 285 का हिस्सा है, लेकिन खसरा नम्बर 285 नदी नहीं होकर एक बहुत बड़ा भू भाग है। जिसमें से ग्राम रामपुरा के लगभग 70–75 भूमिहीनों को भूमि से जिविकोपार्जन हेतु आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उक्त आराजी का जो भाग आवंटित किया गया है। वह नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आता है, जिससे हस्तगत प्रकरण पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार की याचिका संख्या 1536/2003 का निर्णय लागू नहीं होता है। अप्रार्थी को आवंटित आराजी नदी का हिस्सा है या नहीं इस बाबत मौके की जांच न कर मात्र रेकर्ड के आधार पर ही प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। जो विधी विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/67 रकबा 15 बीघा किस्म बा. अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी सालगराम पुत्र ओकाराम पीटल निवासी रामपुरा को आवंटन कमेटी द्वारा आदेश पारित करते हुए ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 285 किस्म गैर मुमकीन नदी की किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से ख.न. 285/68 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. कर किया गया है। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.04.1975 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा सालगराम पुत्र ओकाराम पीटल को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.06.1989 के द्वारा अप्रार्थी सालगराम को खातेदार दर्ज किया गया। जो आज भी खातेदार दर्ज है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 285 नदी नहीं है, जबकि पत्रावली संलग्न जमाबन्दी संवत 2017 में स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 285 की किस्म गै.मु. नदी ही है एवं अप्रार्थी को आवंटित भूमि उसी खसरे में से बट्टा नम्बर 285/67 बनाकर की गई है तथा किस्म भी आवंटन अधिकारी द्वारा बदली गई, जिसका आवटंन अधिकारी को अधिकार नही था। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी के आवंटन ओदश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.04.1975 एवं इसका पश्चातवर्ती नामा. संख्या 414 दिनांक 24.06.1989 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी सालगराम पुत्र ओकाराम पीटल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.04.1975 एंव पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.06.1989 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी अव्वल से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु रेफरेंन्स सेवामें प्रेषित है।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)